

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-III में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली 8 जनवरी 2013

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ("ग्रिड संयोजित सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें") विनियम, 2013

सं एफ. 11(764)/डी.ई.आर.सी/2011-12/3271/5061 विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धाराओं 61, 62 और 86 के साथ पठित धारा 181(2) की उपधारा (यघ), (यड) तथा (यच) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में इसके समर्थकारी अन्य सभी शक्तियों के प्रयोग में तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद् द्वारा ग्रिड संयोजित सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ विनिर्दिष्ट करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है नामतः

1. उप शीर्षक तथा प्रारंभन

- 1.1 ये विनियम "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड संयोजित सौर प्रकाश-वोल्टीय परियोजना के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2013" कहलाएंगे।
- 1.2 ये विनियम संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लागू होंगे।
- 1.3 ये विनियम दिल्ली गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं है :-

- (क) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) है;
- (ख) "पूंजी लागत" का अर्थ विनियम 13 में परिभाषित अनुसार पूंजी लागत है;
- (ग) "केन्द्रीय आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग है;
- (घ) "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण है;

- (ड) "व्यवसाय विनियमों का संचालन" का अर्थ दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग व्यापक (व्यवसाय संचालन) विनियम, 2001, समय-समय पर संशोधित अनुसार, है;
- (च) "नियंत्रण अवधि तथा समीक्षा अवधि" का अर्थ वह अवधि है जिसके दौरान अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट टैरिफ निर्धारण के प्रतिमान विधिमान्य रहेंगे;
- (छ) "आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (1) में संदर्भित दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग है;
- (ज) "वितरण लाइसेंसधारक" का अर्थ वह लाइसेंसधारक है, जो आपूर्ति के उसके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए कार्य करने तथा विद्युत आपूर्ति अनुरक्षित करने हेतु प्राधिकृत है;
- (झ) "संस्थापित क्षमता" का अर्थ क्रम विन्यास में संस्थापित पीवी मॉड्यूल्स की "किवा" में शीर्ष दर का योग है;
- (ञ) "अंतर-संयोजन बिंदु" का अर्थ अक्षय ऊर्जा परियोजना का पारेषण प्रणाली अथवा वितरण प्रणाली, जैसी भी स्थिति है, के साथ अंतरापृष्ठ बिंदु होगा;
- (ट) "प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय" का अर्थ परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण पर उपगत व्यय है तथा इसमें जनबल, मरम्मत, अतिरिक्त पुर्जों, उपभोज्यों, बीमा पर किया गया व्यय और ऊपरी बंधा खर्च शामिल है;
- (ठ) "परियोजना विकासकर्ता" का अर्थ सौर पीवी विद्युत परियोजना का विकासकर्ता है, जो ऐसी परियोजना का मालिक और परिचालक होगा;
- (ड) "अंतिम शेष मूल्य" का अर्थ किसी आस्ति के उपयोगी जीवन के अंत में उसका अनुमानित मूल्य है;
- (ढ) "सौर पीवी विद्युत परियोजना" का अर्थ सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत परियोजना है, जिसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग उसको प्रकाश-वोल्टीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीधे विद्युत में परिवर्तित करने हेतु किया जाता है तथा इसमें अंतरसंयोजन बिंदु तक निष्क्रमण प्रणाली शामिल है;
- (ण) "सौर मीटर" का अर्थ सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत परियोजना द्वारा जनित विद्युत के लेखांकन और बिल बनाने के प्रयोजन हेतु, जनित इकाइयों के मापन के लिए प्रयुक्त मीटर है;
- (त) "राज्य एजेंसी" का अर्थ वह एजेंसी है, जो आयोग द्वारा, पंजीकरण और अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के उपबंध (ड) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए कार्यों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन तथा अनुशंसा हेतु, एजेंसी के रूप में नामित किया गया है;
- (थ) "टैरिफ अवधि" का अर्थ वह अवधि है, जिसके लिए आयोग द्वारा टैरिफ का निर्धारण, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के आधार पर, किया जाना है;

(द) "उपयोगी जीवन" का अर्थ सौर पीवी विद्युत परियोजना के संदर्भ में ऐसी जनन सुविधा के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) से 25 वर्ष की अवधि होगी;

(ध) "पूँजी की भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसीसी)" का अर्थ ऋण और इक्विटी सहित वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों की लागतों का औसत है, जिनमें प्रत्येक को परियोजना में नियोजित कुल पूँजी में इसके संबद्ध अनुपात द्वारा भारित किया गया है;

(न) "वर्ष" का अर्थ एक वित्तीय वर्ष है;

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो यद्यपि यहां ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, का अर्थ वही होगा जो उनको अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। यहां इसमें प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो विनियमों अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई हैं, परंतु संसद द्वारा पारित किसी कानून, जो राज्य में विद्युत उद्योग हेतु लागू है, में परिभाषित की गई हैं, का अर्थ वही होगा जो उनको ऐसे कानून में निर्दिष्ट किया गया है।

3. लागू होने का दायरा और सीमा

ये विनियम ग्रिड संयोजित उन सभी सौर पीवी परियोजनाओं हेतु लागू होंगे, जहां ऐसी परियोजना/परियोजनाओं से जनित विद्युत हेतु टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा इस अधिनियम की धारा 86 के साथ पठित धारा 62 के अधीन किया जाता है।

परंतु शर्त यह है कि ये विनियम नीचे विनियम 4 में विनिर्दिष्ट ग्राह्यता मानदंडों की पूर्ति की शर्त पर लागू होंगे।

4. ग्राह्यता मानदंड

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सौर प्रकाश-वोल्टीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित 25केडब्ल्यूपी अथवा अधिक क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं।

अध्याय 1 – सामान्य सिद्धान्त

5. नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि

5.1 इन विनियमों के अंतर्गत नियंत्रण अवधि या समीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी जिसका पहला वर्ष वित्तीय वर्ष 2012-13 होगा।

बशर्ते कि, इस नियंत्रण अवधि के दौरान सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के तहत निर्धारित टैरिफ, टैरिफ अवधि के पूरे समय के लिए लागू होगा जैसा कि विनियम 7 में नीचे दिया गया है।

आगे दिया गया है कि सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए पूँजी लागत और ब्याज दर के संदर्भ में ऊपरी सीमा की आयोग द्वारा वार्षिक रूप से समीक्षा की जा सकती है।

बशर्ते यह भी कि अगले नियंत्रण अवधि के लिए यदि विनियमों की अधिसूचना अगले नियंत्रण अवधि की उद्घोषणा तक नहीं की जाती है, तो इन विनियमों के अनुसार टैरिफ नियम का लागू होना जारी रहेगा जब तक कि संशोधित विनियम की कोई अधिसूचना नहीं होती, जो कि संशोधित विनियमों के अनुसार समायोज्य है।

6. टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिका और कार्यवाही

6.1 आयोग, सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना डेवलपर द्वारा दायर याचिका के आधार पर परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण करेगा जिनके लिए इन विनियमों में मापदंड को निर्दिष्ट किया गया है।

6.2 परियोजना विशिष्ट टैरिफ के निर्धारण के लिए एक याचिका के साथ निम्नांकित संलग्न होंगे—

- क) ऐसे फीस विनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना के साथ होगी।
- ख) तकनीकी और परिचालात्मक विवरण, साइट—विशिष्ट पक्ष, पूंजी लागत के लिए आधार और वित्तीय योजना आदि को रेखांकन करती विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- ग) उस अवधि जिसके लिए टैरिफ का निर्धारण किया जाना है, के लिए अपेक्षित व्यय का विवरण।
- घ) केंद्र सरकार तथा/अथवा राज्य सरकार से प्राप्त, बकाया या कल्पित बकाया सब्सिडी और प्रोत्साहन की गणना के पूरे विवरण। इस विवरण में सब्सिडी और प्रोत्साहन पर विचार किए बिना गणना किया गया प्रस्तावित टैरिफ भी शामिल होगा।
- ङ) कोई भी सूचना जो आयोग, याचिकाकर्ता द्वारा जमा करना आवश्यक समझता हो।

6.3 टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रक्रिया व्यावसायिक आचरण विनियमों के अनुसार होगी।

7. टैरिफ अवधि

सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अंतर्गत टैरिफ अवधि पच्चीस वर्ष होगी और सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के व्यवसायिक परिचालन की तिथि से गिनी जाएगी।

8. परियोजना विशिष्ट टैरिफ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के प्रतिष्ठापन के लिए प्रति मामले के आधार पर आयोग परियोजना विशिष्ट टैरिफ का निर्धारण करेगा, जो कि आयोग के संदर्भित आदेश के अंतर्गत नियत निमय एवं शर्तों का विषय होगा।

बशर्ते कि आयोग ऐसी परियोजनाओं के लिए परियोजना टैरिफ का निर्धारण इन विनियमों के अध्याय—2 के अंतर्गत निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार किया जाएगा।

9. टैरिफ संरचना

ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ, एकल भाग टैरिफ होगा जो कि निम्नांकित लागत घटकों का बना होगा—

- (ए) इक्विटी पर लाभ
- (बी) ऋण पूंजी पर ब्याज
- (सी) अवमूल्यन
- (डी) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, और
- (ई) परिचालन एवं रखरखाव व्यय

10. टैरिफ डिजाइन

- 10.1 टैरिफ का निर्धारण टैरिफ अवधि के लिए स्तरीय आधार पर और स्तरीय टैरिफ उपभोग के लिए होगा, पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल (डब्ल्यूएसीसी) के समतुल्य छूट कारक पर विचार किया जाएगा।
- 10.2 टैरिफ का स्तरीयकरण अक्षय ऊर्जा परियोजना के 'उपयोगी जीवन' के लिए किया जाएगा जबकि टैरिफ को 'टैरिफ अवधि' के समतुल्य अवधि के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

11. प्रेषण सिद्धान्त

सभी ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं को 'मस्ट रन' विद्युत संयंत्र के रूप माना जाएगा और 'मेरिट आर्डर डिस्पैच', सिद्धान्त का विषय नहीं होगा।

12. सौर ऊर्जा से विद्युत की खरीद की मात्रा

सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की खरीद की मात्रा, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा को लागू करने विषयक) विनियम, 2012 में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

अध्याय 2: वित्तीय सिद्धान्त एवं तकनीकी मापक

13. पूंजीगत लागत

- 13.1 पूंजीगत लागत में संयंत्र और मशीनरी, सिविल कार्य, उत्थापन एवं कार्य की शुरुआत, लागतों की वित्तीय व्यवस्था करना, निर्माण कार्य के दौरान ब्याज, तथा परस्पर संपर्क बिंदु तक निष्क्रमण की अवसंरचना सहित सभी पूंजीगत कार्य शामिल हैं।
- 13.2 वित्त वर्ष 2012-13 के लिए सौर प्रकाश-वोल्टीय विद्युत परियोजनाओं की मानकीय पूंजीगत लागत की उच्चतम सीमा 1,000 लाख/एमडब्ल्यू होगी।

बशर्ते कि सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत लागत की उच्चतम सीमा का वार्षिक आधार पर आयोग द्वारा समीक्षा की जाए।

13.3 परियोजना के प्रवर्तक विनियमन 6 के तहत विनिर्दिष्ट ढंग से पूंजीगत लागत के आइटम को अलग-अलग तथा इसके आवेदन को प्रस्तुत करेंगे।

14. ऋण इक्विटी अनुपात

14.1 टैरिफ सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

- (क) यदि नियोजित की गयी वास्तविक इक्विटी पूंजीगत लागत के 30 प्रतिशत से अधिक है, तो 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी को मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा।
- (ख) बशर्ते कि जहां वास्तविक रूप से नियोजित की गयी इक्विटी 30 प्रतिशत पूंजीगत लागत से कम है, तो वास्तविक इक्विटी को टैरिफ सुनिश्चित करने लिए माना जाएगा।
- (ग) बशर्ते कि आगे विदेशी मुद्रा में निवेश की गयी इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तारीख पर भारतीय रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा।

15. ऋण और वित्तीय प्रसार

15.1 ऋण की अवधि – टैरिफ सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए, ऋण की अवधि 12 वर्ष मानी जाएगी।

15.2 ब्याज दर –

- (क) ऋण की गणना करने के लिए, ऊपर दर्शाए गए के अनुसार लिए गए ऋण को सकल मानकीय ऋण के रूप में माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को बकाया मानकीय ऋण की गणना पिछले वर्ष की 31 मार्च तक संचयी पुनर्भुगतान की सकल मानकीय ऋण से कटौती करके की जाएगी।
- (ख) टैरिफ की संगणना के लिए, मानकीय ब्याज दर को पिछले वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के औसत आधार दर तथा 300 आधार बिंदुओं के योग के रूप में माना जाएगा।
- (ग) तथापि, परियोजना प्रवर्तक द्वारा कोई ऋण स्थगन अवधि का उपयोग करने पर, ऋण का पुनर्भुगतान परियोजना के व्यावसायिक प्रचालन करने के पहले वर्ष से माना जाएगा।

बशर्ते कि सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्याज दर की उच्चतम सीमा की समीक्षा आयोग द्वारा प्रति वर्ष की जाए।

16. अवमूल्यन

- 16.1 अवमूल्यन के उद्देश्य लिए आयोग द्वारा अनुमोदित परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत मूल्य आधार होगी। परिसम्पत्ति का निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसम्पत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत के अवमूल्यन की अनुमति होगी।
- 16.2 प्रति वर्ष अवमूल्यन ऋण की अवधि तथा ऋण की अवधि के बाद के समय में "सीधी रेखा विधि" पर परिगणित उपयोगी जीवन पर "अंतरीय अवमूल्यन संकल्पना" के आधार पर होगी। टैरिफ अवधि के पहले 12 वर्षों के लिए अवमूल्यन दर 5.83 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी तथा शेष अवमूल्यन 13वें वर्ष से आगे परियोजना की उपयोगी जीवन पर विस्तृत होगी।
- 16.3 अवमूल्यन व्यावसायिक प्रचालन के पहले वर्ष से प्रभार योग्य होगा।

बशर्ते कि परिसम्पत्ति का व्यावसायिक प्रचालन वर्ष के किसी भाग में होने पर, अवमूल्यन अनुपातिक आधार पर प्रभार योग्य होगा।

17. इक्विटी पर लाभ

17.1 इक्विटी के लिए मूल्य आधार पूंजीगत लागत का 30 प्रतिशत या विनियम 14 के तहत निर्धारित वास्तविक इक्विटी (परियोजना विशेष के टैरिफ निर्धारण के मामले में) होगा।

17.2 इक्विटी पर मानकीय लाभ होगा:

(क) कर-पूर्व 20 प्रतिशत प्रति वर्ष पहले 10 वर्षों के लिए

(ख) कर-पूर्व 24 प्रतिशत प्रति वर्ष 11वें वर्ष से आगे

18. कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

18.1 सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कार्यकारी पूंजी की जरूरत की गणना निम्नलिखित के अनुसार की जाएगी:

(क) एक महीने के प्रचालन और रखरखाव खर्च;

(ख) मानकीय क्षमता उपयोग तत्व के आधार पर गणना की गयी दो (2) महीनों के बिजली के बिक्री के ऊर्जा प्रभार के समतुल्य प्राप्त होने वाली राशि;

(ग) कल-पुर्जों का रखरखाव प्रचालन व रखरखाव खर्चों के 15 प्रतिशत की दर से

18.2 कार्यकारी पूंजी पर ब्याज भारतीय स्टेट बैंक की पिछले वर्ष की पहली छमाही के दौरान प्रचलित आधार दर के औसत तथा 350 आधार बिंदुओं के योग के अनुसार होगी।

बशर्ते कि सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्याज दर की उच्चतम सीमा की समीक्षा प्रति वर्ष आयोग द्वारा हो।

19. प्रचालन और रखरखाव खर्च

- 19.1 'प्रचालन और रखरखाव या ओएंडएम खर्चों' में मरम्मत और रखरखाव (आरएंडएम), कर्मचारी संबंधी खर्चों में प्रतिष्ठान एवं प्रशासनिक और सामान्य खर्चों सहित विनियम 2.1(1) के तहत विशेष रूप से निर्दिष्ट बीमा खर्च शामिल हैं।
- 19.2 पहले प्रचालन वर्ष के लिए मानकीय प्रचालन एवं रखरखाव खर्च रु. 11 लाख/एमडब्ल्यू होंगे।
- 19.3 इन विनियमों के तहत नियंत्रण अवधि की शुरुआत में मानकीय प्रचालन एवं रखरखाव खर्च टैरिफ अवधि (दूसरे वर्ष से आगे) 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ाए जाएंगे।

20. प्रौद्योगिकी

- 20.1 इन विनियमों के तहत सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए मापदंड क्रिस्टललाइन सिलिकॉन या भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदित पतली फिल्म इत्यादि जैसी तकनीकों पर आधारित पीवी से जुड़ी ग्रिड जो सीधे सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है पर लागू होंगे।
- 20.2 इन विनियमों के तहत, 1एमडब्ल्यूपी से कम क्षमता वाली सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं एलटी/एचटी नेटवर्क में ग्रिड से जोड़ी जाएंगी; तथा 1एमडब्ल्यूपी या इससे अधिक क्षमता वाली सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं एचटी नेटवर्क से जोड़ी जाएंगी।

21. संयंत्र और मशीनरी का कार्यकाल

सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं का मानकीय उपयोगी कार्यकाल 25 वर्ष माना गया है।

22. क्षमता उपयोग का तत्व (सीयूएफ)

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली में सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन के अनुमान हेतु क्षमता उपयोग तत्व 19 प्रतिशत होगा।

अध्याय 3: मीटरिंग, बिलिंग और भुगतान

23. मीटरिंग व्यवस्था

23.1 ग्रिड से जुड़े सभी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के लिए मीटरिंग व्यवस्था निम्न के अनुसार होगी:

- (क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और परिचालन) विनियमन, 2006, संशोधित;
- (ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियमन 2008, संशोधित; और
- (ग) डीईआरसी (आपूर्ति कोड एवं प्रदर्शन मानक) विनियमन 2007, संशोधित।

23.2 सौर पीवी विद्युत परियोजना द्वारा निर्यात की जाने वाली सौर ऊर्जा का 'सोलर मीटर' के रूप में विनिर्दिष्ट मीटर के जरिए बिल का पता लगाया जायेगा। इस तरह का सोलर मीटर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और परिचालन) विनियमन, 2006 संशोधित में परिभाषित 'इंटरफेस मीटर' की तकनीकी आवश्यकताओं/लागू श्रेणी की विशिष्टताओं के अनुरूप होगा।

23.3 संयुक्त मीटर रीडिंग लेने और मापे गये आंकड़े का रिकॉर्ड लेने की जिम्मेवारी वितरण लाइसेंस धारक, परियोजना विकासकर्ता और एसएलडीसी पर होगी। सोलर मीटर से संबंधित सारी जानकारी के डेटाबेस के रखरखाव की जिम्मेवारी एसएलडीसी पर होगी और यह मापे गये आंकड़े का सत्यापन करेगा और कमीशन द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार इसे विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करायेगा।

23.4 टेस्टिंग, चेकिंग, कैलीब्रेशन आदि की अवधि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटर की स्थापना और परिचालन) विनियमन, 2006 संशोधित के अनुसार नियंत्रित होगी।

24. बिलिंग और भुगतान

24.1 ऊर्जा की बिलिंग मासिक आधार पर की जायेगी।

24.1 सौर परियोजना विकासकर्ता आपूर्तित ऊर्जा के लिए हर महीने वितरण लाइसेंस धारक के नाम से बिल जारी करेगा।

24.3 आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए परियोजना विकासकर्ता को वितरण लाइसेंस धारक द्वारा बिल की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जायेगा।

25. भुगतान में देरी हेतु अधिशुल्क

बिलिंग की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान न किए जाने पर, परियोजना विकासकर्ता द्वारा 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से भुगतान में देरी हेतु अधिशुल्क आरोपित किया जायेगा और इसकी गणना दैनिक आधार पर की जायेगी।

26. छूट

26.1 साख-पत्र के जरिए सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं के बिल के भुगतान के लिए, 2 प्रतिशत के छूट की अनुमति होगी।

26.2 मान्य अंतर-बैंकीय ई-ट्रांसफर की स्थिति में, सौर परियोजना विकासकर्ता और वितरण लाइसेंस धारक के बीच परस्पर सहमति के आधार पर बने वाणिज्यिक करार के अनुसार 2 प्रतिशत के छूट की अनुमति होगी।

26.3 यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा जारी किए गये बिल की तारीख से एक महीने के भीतर साख-पत्र के अलावा किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया जाता है, तो 1 प्रतिशत के छूट की अनुमति होगी।

अध्याय 4: विविध

27. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा छूट/भत्ता

27.1 आयोग द्वारा केंद्र या रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भत्ता या किसी छूट पर विचार किया जायेगा, जिसमें जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव (जीबीआई) त्वरित अवमूल्यन लाभ शामिल है, यदि इन विनियमों के तहत टैरिफ निर्धारण के समय परियोजना विकासकर्ता द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए इनका लाभ लिया गया हो।

बशर्ते कि टैरिफ निर्धारण के लिए त्वरित अवमूल्यन का लाभ लिए जाने की स्थिति में, आयकर से छूट सुनिश्चित करने के लिए निम्न सिद्धांतों पर विचार किया जाएगा:

- (क) लाभ का मूल्यांकन आयकर अधिनियम और कॉर्पोरेट आयकर दर के तहत उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार नियामक पूंजी लागत, त्वरित अवमूल्यन के आधार पर किया जायेगा।
- (ख) वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सौर पीवी परियोजनाओं का पूंजीकरण।
- (ग) वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के छूट कारक के अनुरूप पर सामान्यीकृत आधार पर प्रति इकाई लाभ की गणना की जायेगी।

28. कर और ड्यूटी

इन विनियमनों के आधार निर्धारित शुल्क में वे सभी कर और ड्यूटी शामिल हैं, जिन्हें उपयुक्त सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। उपयुक्त सरकारों द्वारा लगाये गये कर और ड्यूटी को पास के रूप में अनुमति प्राप्त होगी।

29. सीडीएम लाभों का सहभाजन

29.1 सीडीएम परियोजना के रूप में ऐसे परियोजना के विकास में शामिल सभी जोखिम, लागत और प्रयास का जिम्मा परियोजना विकासकर्ता/प्रमुख कंपनी, स्थिति के अनुसार, पर होगा और साथ ही वह इन परियोजनाओं का सीडीएम परियोजनाओं के रूप में विकास और पूंजीकरण के लिए जिम्मेवार होगा।

29.2 अनुमोदित सीडीएम परियोजना के कार्बन क्रेडिट से होने वाली आय निम्न रूप में परियोजना विकासकर्ता और संबंधित वितरण लाइसेंस धारक के बीच बांटी जायेगी—

- (क) ऊर्जा-उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद पहले वर्ष में सीडीएम लाभ के चलते होने वाली 100 प्रतिशत आय विकासकर्ता की होगी।
- (ख) दूसरे वर्ष में, लाभार्थियों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होगी, जो प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से तब तक बढ़ती जायेगी, जब तक यह 50 प्रतिशत न हो जाये, जिसके बाद उत्पादक

कंपनी और लाभार्थियों के बीच आय को बराबर-बराबर बांट लिया जायेगा, बशर्ते वितरण लाइसेंस धारक को होने वाला पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दे दिया जायेगा।

30. ग्रिड बढ़ाने में निवेश

वितरण लाइसेंस धारक की प्रणाली में इंटर-कनेक्शन के बाद आवश्यक किसी भी वृद्धि का खर्च संबंधित वितरण लाइसेंस धारक द्वारा उठाया जायेगा।

गौरतलब है कि इस तरह के निवेश, जिन्हें आयोग की मंजूरी मिली हो, का इस तरह के वितरण लाइसेंस धारक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता में इस्तेमाल किया जायेगा।

31. ग्रिड के साथ इंटर-कनेक्टिविटी की प्रक्रियाएं

31.1 सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के इच्छुक परियोजना विकासकर्ता आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप/प्रारूपों में वितरण नेटवर्क प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी के लिए वितरण लाइसेंस धारक के यहां आवेदन देंगे।

31.2 कनेक्टिविटी की मंजूरी की समय-सीमा निम्नवत होगी:

- (क) वितरण लाइसेंस धारक परियोजना विकासकर्ता से आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर (परियोजना विकासकर्ता और आयोग को) सूचित करेगा कि प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाये बिना परियोजना विकासकर्ता को ग्रिड से जोड़ा जा सकता है या नहीं और इस तरह की सूचना के 30 दिनों के भीतर कनेक्टिविटी के लिए कदम उठायेगा।
- (ख) यदि प्रणाली को मजबूत बनाया जाना या ग्रिड को बढ़ाना आवश्यक है, तो वितरण लाइसेंस धारक परियोजना विकासकर्ता के आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर परियोजना विकासकर्ता और आयोग को इसकी जानकारी देगा। ऐसी स्थिति में, इस तरह की सूचना के 4-6 महीने के भीतर ग्रिड से परियोजना विकासकर्ता का इंटरकनेक्शन स्थापित किया जायेगा।
- (ग) यदि वितरण लाइसेंस धारक को ऐसे किसी कारणवश, जो वितरण लाइसेंस धारक के नियंत्रण से बाहर है, बिजली नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वितरण लाइसेंस धारक को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं देनी होगी।

32. संप्रेषण सुविधाएं

ग्रिड से जुड़े सभी पीवी पावर परियोजना में मीटर लगे होंगे, जो 45 दिनों तक ऊर्जा का आंकड़ा रख सकेंगे। 1 एमडब्ल्यूपी और इससे अधिक की क्षमता वाली सभी परियोजनाओं में कम्प्यूनिकेशन पोर्ट होगा, ताकि वे एसएलडीसी और वितरण लाइसेंस धारक के साथ असली जानकारी का आदान-प्रदान कर सकें।

33. विद्युत गुणवत्ता और सुरक्षा एवं नियंत्रण

विद्युत गुणवत्ता और सुरक्षा एवं नियंत्रण वितरण प्रणाली के लिए लागू सीईए (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियमन, 2010 में निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होगा।

34. समस्याएं दूर करने का अधिकार

35.1 इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान को लागू करने में होने वाली किसी भी मुश्किल की स्थिति में, आयोग सामान्य या विशेष आदेश के जरिए परियोजना विकासकर्ता, वितरण लाइसेंस धारक (धारकों) आदि को उचित कदम उठाने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश दे सकता है।

35.2 परियोजना विकासकर्ता तथा/अथवा वितरण लाइसेंस धारक आयोग को आवेदन दे सकते हैं और इन विनियमनों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश की मांग कर सकते हैं।

35. छूट का अधिकार

आयोग सामान्य या विशेष आदेश के जरिए लिखित कारणों से और प्रभावित हो सकने वाले पक्षों को सुनने के बाद, इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान से छूट दे सकता है।

36. व्याख्या

इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित किसी सवाल की स्थिति में, आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

37. संशोधन की शक्ति

आयोग समय-समय पर इन विनियमनों के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन, संशोधन, बदलाव कर सकता है।

श्रीमती जयश्री रघुरमन
सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi 8 January, 2013

Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Tariff for Grid-connected Solar Photo Voltaic Project) Regulations, 2013

No. F. 11(764)/DERC/2011-12/3271/5061 In exercise of the powers vested under subsection (zd), (ze) and (zf) of Section 181(2) read with Sections 61, 62 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf and after previous publication, Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations, for specifying the terms and conditions of tariff for Grid-connected Solar Photo Voltaic Projects namely:

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These Regulations shall be called the "Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Tariff for Grid-connected Solar Photo Voltaic Project) Regulations, 2013".
- 1.2 These Regulations shall extend to the whole of National Capital Territory of Delhi.
- 1.3 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions and Interpretations

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:-
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) 'Capital Cost' means the Capital cost as defined in Regulation 13;
 - (c) 'Central Commission' means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in subsection (1) of section 76 of the Act;
 - (d) 'Authority' means the Central Electricity Authority referred to in sub-section (1) of Section 70 of the Act;
 - (e) 'Conduct of Business Regulations' means the Delhi Electricity Regulatory Commission Comprehensive (Conduct of Business) Regulations, 2001, as amended from time to time;
 - (f) 'Control Period or Review Period' means the period during which the norms for determination of tariff specified in these Regulations shall remain valid;
 - (g) 'Commission' means the Delhi Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 82 of the Act;
 - (h) 'Distribution Licensee' means a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
 - (i) 'Installed Capacity' means the summation of the KW peak rating of the installed PV modules in the array;
 - (j) 'Inter-connection Point' shall mean the interface point of the Renewable Energy Project with the transmission system or distribution system as the case may be;

- (k) **'Operation and Maintenance Expenses'** means the expenditure incurred on operation and maintenance of the project, or part thereof, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance, and overheads;
- (l) **'Project Developer'** shall mean developer of the solar PV power project, who shall own and operate such project;
- (m) **'Salvage Value'** means the estimated value of an asset at the end of its useful life;
- (n) **'Solar PV Power Project'** means a Solar Photo Voltaic Power project that uses sunlight for direct conversion into electricity through Photo Voltaic technology and includes the evacuation system upto interconnection point;
- (o) **'Solar Meter'** means a meter used for measuring the units generated for the purpose of accounting and billing of electricity generated by the Solar PV Power Project;
- (p) **'State Agency'** means the agency as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake such functions as may be specified under clause (e) of subsection (1) of section 86 of the Act;
- (q) **'Tariff Period'** means the period for which tariff is to be determined by the Commission on the basis of norms specified under these Regulations;
- (r) **'Useful Life'** in relation to a Solar PV power project shall mean a period of 25 years from the date of commercial operation (COD) of such generation facility;
- (s) **'Weighted Average Cost of Capital (WACCY)'** means the average of the costs of various sources of financing including debt and equity, each of which is weighted by its respective ratio in the total capital employed in the project;
- (t) **'Year'** means a financial year;

2.2 All other words and expressions used in these Regulations although not specifically defined hereinabove, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law.

3. **Scope and Extent of Application**

These Regulations shall be applicable to all the grid connected solar PV projects where tariff for electricity generated from such project/(s) is determined by the Commission under Section 62 read with Section 86 of the Act.

Provided that these Regulations shall apply subject to the fulfilment of eligibility criteria specified in Regulation 4 below.

4. **Eligibility Criteria**

Grid connected Solar PV power projects of capacity equal to or more than 25kWp, based on the Solar Photo Voltaic technologies approved by Ministry of New & Renewable Energy of the Government of India.

CHAPTER 1: GENERAL PRINCIPLES

5. Control Period or Review Period

- 5.1 The Control period or Review period under these Regulations shall be of three years, of which the first year shall be the financial Year 2012-13.

Provided that the tariff determined under these Regulations for the Solar PV Power projects commissioned during this control period, shall continue to be applicable for the entire duration of the Tariff Period as specified in Regulation 7 below;

Provided further that the ceiling limit in respect of the capital cost and the interest rate for Solar PV power projects may be reviewed annually by the Commission.

Provided also that in case the Regulations for the next control period are not notified until commencement of next control period, the tariff norms as per these Regulations shall continue to remain applicable until no notification of the revised Regulations subject to adjustments as per revised Regulations.

6. Petition and Proceedings for Determination of Tariff

- 6.1 The Commission shall determine the Project Specific tariff based on the Petition filed by the Project developer for solar PV power Projects for which norms have been specified in these Regulations.
- 6.2 A petition for determination of project specific tariff shall be accompanied by-
- a) such fee as may be determined by Regulations and shall be accompanied by information in such forms as may be, specified by the Commission;
 - b) Detailed project report outlining technical and operational details, site-specific aspects, premise for capital cost and financing plan etc.
 - c) A Statement of expected expenditure for the period for which tariff is to be determined.
 - d) A statement containing full details of calculation of any subsidy and incentive received, due or assumed to be due from the Central Government and/or State Government.
This statement shall also include the proposed tariff calculated without consideration of the subsidy and incentive
 - e) Any other information that the Commission requires the petitioner to submit.
- 6.3 The proceedings for determination of tariff shall be in accordance with the Conduct of Business Regulations.

7. Tariff Period

Tariff period under these Regulations for solar PV power projects shall be twenty five (25) years and shall be reckoned from the date of commercial operation of the solar PV power projects ;

8. Project Specific Tariff

The Commission shall determine the Project specific tariff, on case to case basis, for solar PV power projects set up in the NCT of Delhi, which shall be subject to such terms and conditions as stipulated under relevant Orders of the Commission.

Provided that the Commission shall determine the project specific tariff for such projects in accordance with the norms specified under Chapter-2 of these Regulations.

9. Tariff Structure

The tariff for grid-connected solar PV power projects shall be single part tariff consisting of following cost components:

- (a) Return on Equity,
- (b) Interest on loan capital,
- (c) Depreciation,
- (d) Interest on working capital and
- (e) Operation and maintenance expenses.

10. Tariff Design

10.1 The tariff shall be determined on levelised basis for the tariff period; and, for the purpose of levelised tariff computation, discount factor equivalent to Post tax Weighted Average Cost of Capital (WACC) shall be considered.

10.2 Levelisation of tariff shall be carried out for the 'useful life' of the Renewable Energy Project while Tariff shall be specified for the period equivalent to the 'Tariff Period'.

11. Dispatch Principles

All grid-connected solar PV power projects shall be treated as 'MUST RUN' power plants and shall not be subjected to 'merit order dispatch' principles.

12. Quantum of Purchase of Electricity from Solar Energy

The quantum of purchase of power from solar PV power projects shall be as specified in the Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012.

CHAPTER 2: FINANCIAL PRINCIPLES & TECHNICAL PARAMETERS

13. Capital Cost

13.1 The capital cost shall be inclusive of all capital work including plant and machinery, civil work, erection and commissioning, financing costs, interest during construction, and evacuation infrastructure up to interconnection point.

13.2 The normative Capital cost ceiling limit for setting up of Solar Photo Voltaic Power projects shall be Rs. 1000 lakh/MW for the FY 2012-13.

Provided that the capital cost ceiling limit for Solar PV power projects may be reviewed annually by the Commission.

13.3 The Project developer shall submit the break-up of capital cost items along with its petition in the manner specified under Regulation 6.

14. Debt Equity Ratio

14.1 For the purpose of determination of tariff, the following provisions shall apply:

- (a) If the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as normative loan.
- (b) Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost, the actual equity shall be considered for determination of tariff.

- (c) Provided further that the equity invested in the foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment.

15. Loan and Finance Charges

15.1 Loan Tenure - For the purpose of determination of tariff, loan tenure of 12 years shall be considered.

15.2 Interest Rate –

- (a) The loans arrived at in the manner indicated above shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on loan. The normative loan outstanding as on April 1st of every year shall be worked out by deducting the cumulative repayment up to March 31st of previous year from gross normative loan
- (b) For the purpose of computation of tariff, the normative interest rate shall be considered as an average State Bank of India (SBI) Base rate prevalent during the first six months of the previous year plus 300 basis points.
- (c) Notwithstanding any moratorium period availed by the project developer, the repayment of loan shall be considered from the first year of commercial operation of the project.

Provided that the ceiling limit of the interest rate for Solar PV power projects may be reviewed annually by the Commission.

16. Depreciation

16.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset approved by the Commission. The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to maximum of 90% of the capital cost of the asset.

16.2 Depreciation per annum shall be based on "Differential Depreciation Approach" over the loan tenure and period beyond loan tenure over the useful life computed on 'Straight Line Method'.
The depreciation rate for first 12 years of the tariff period shall be 5.83% per annum and the remaining depreciation shall be spread over the useful life of the project from 13th year onwards.

16.3 Depreciation shall be chargeable from first year of commercial operation.
Provided that in case of the commercial operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on pro-rata basis.

17. Return on Equity

17.1 The value base for the equity shall be 30% of the capital cost or actual equity (in case of project specific tariff determination) as determined under Regulation 14.

17.2 The normative return on equity shall be:

- (a) Pre-tax 20% per annum for first 10 years.
(b) Pre tax 24% per annum 11th year onwards.

18. Interest on Working Capital

18.1 The Working Capital requirement in respect of solar PV power projects shall be computed in accordance with the following:

- a) Operation & Maintenance expenses for one month;
b) Receivables equivalent to Two (2) months of energy charges for sale of

electricity calculated on the normative Capacity Utilisation Factor;
c) Maintenance spares @ 15% of operation and maintenance expenses;

18.2 Interest on Working Capital shall be at interest rate equivalent to an average State Bank of India Base Rate prevalent during the first six months of the previous year plus 350 basis points.

Provided that the ceiling limit of the interest rate for Solar PV power projects may be reviewed annually by the Commission.

19. Operation and Maintenance Expenses

19.1 'Operation and Maintenance or O&M expenses' shall comprise of repair and maintenance (R&M), establishment including employee expenses, and administrative and general expenses including insurance as specifically defined under Regulation 2.1(l).

19.2 The normative Operation & Maintenance Expenses shall be Rs 11 Lakhs/MW for the 1st year of operation.

19.3 Normative Operation & Maintenance expenses allowed at the commencement of the Control Period under these Regulations shall be escalated at the rate of 5.72% per annum over the Tariff Period (from the 2nd year onwards).

20. Technology

20.1 Norms for Solar PV power projects under these Regulations shall be applicable for grid connected PV system that directly convert solar energy into electricity and are based on technologies such as crystalline Silicon or thin film etc. as may be approved by the Ministry of New and Renewable energy of the Government of India.

20.2 Under these Regulations, the solar PV power projects with installed capacity below 1MWp shall be connected to the grid at LT/HT network; and, Solar PV power projects with installed capacity of 1 MWp and above shall be connected to HT network.

21. Life of Plant and Machinery

The normative useful life of solar PV power projects has been considered 25 years.

22. Capacity Utilization Factor (CUF)

The Capacity Utilization Factor for estimation of electricity generation from solar PV power projects in NCT of Delhi shall be 19%.

CHAPTER 3: METERING, BILLING and PAYMENT

23. Metering Arrangement

23.1 Metering arrangement for all grid-connected solar PV power projects shall be in accordance with:

- (a) Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time;
- (b) Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations 2008 as amended from time to time; and
- (c) DERC (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2007 as amended from time to time.

- 23.2 Solar energy exported by the Solar PV power project developer shall be metered for billing purpose through the meter designated as 'Solar Meter '. Such a Solar Meter shall meet the technical requirements/specifications of applicable category of an 'interface meter" defined in Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time.
- 23.3 It shall be the responsibility of the Distribution Licensee, Project Developer and SLDC to take down the joint meter reading and record the metered data. SLDC shall maintain database of all the information associated with the Solar Meter and verify the metered data and furnish the same to various agencies as per the procedure laid down by the Commission.
- 23.4 Periodicity of testing, checking, calibration etc., shall be governed by the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time.

24. Billing and Payment

- 24.1 Billing of the energy shall be carried out on a monthly basis.
- 24.2 Solar Project developer shall raise the bill to the distribution licensee every month for the energy supplied.
- 24.3 The payments to the project developers in respect of the energy supplied shall be made by the Distribution Licensee within 60 days from the date of the bill.

25. Late Payment Surcharge

For any delayed payment beyond a period of 60 days from the date of billing, a late payment surcharge at the rate of 1.25% per month shall be levied by the project developer, calculated on daily basis.

26. Rebate

- 26.1 For payment of bills of the Solar PV power projects through letter of credit, a rebate of 2% shall be allowed.
- 26.2 In case of recognised inter- bank e transfers, a Rebate of 2% may be allowed in accordance with the commercial arrangement as mutually agreed upon between the Solar Project Developer and the Distribution licensee.
- 26.3 Where payments are made other than through letter of credit within a period of one month of presentation of bills by the Project Developer, a rebate of 1% shall be allowed.

CHAPTER 4: MISCELLANEOUS

27. Subsidy/Incentive by the Central/State Government

27.1 The Commission shall take into consideration any incentive or subsidy offered by the Central or the Government of NCT of Delhi, including Generation Based Incentive (GBI) or accelerated depreciation benefit if availed by the project developers for such projects while determining the tariff under these Regulations.

Provided that the following principles shall be considered for ascertaining income tax benefit on account of accelerated depreciation, if availed, for the purpose of tariff determination:

- (a) Assessment of benefit shall be based on normative capital cost, accelerated depreciation rate as per relevant provisions under Income Tax Act and corporate income tax rate.
- (b) Capitalisation of solar PV projects during second half of the fiscal year.
- (c) Per unit benefit shall be derived on levelised basis at discount factor equivalent to weighted average cost of capital.

28. Taxes and Duties

Tariff determined under these Regulations shall be exclusive of taxes and duties as may be levied by the appropriate Government. Provided that the taxes and duties levied by the appropriate Government shall be allowed as pass through on actual incurred basis.

29. Sharing of CDM Benefits

29.1 All risks, costs and efforts in developing such projects as CDM projects shall remain with the Project Developer/lead entity as the case may be, who is responsible for developing and registering these projects as CDM projects.

29.2 The proceeds of the carbon credit from approved CDM Project shall be shared between the project developers and concerned Distribution Licensee in following manner, namely-

- (a) 100% of the gross proceeds on account of CDM benefit to be retained by the developer in first year after the date of commercial operation of the generating station.
- (b) In the second year, the share of the beneficiaries shall be 10% which shall be progressively increased by 10% every year till it reaches 50%, where after the proceeds shall be shared in equal proportion by generating company and the beneficiaries.

Provided that the entire benefits obtained by the Distribution Licensee shall be fully passed on to the consumers.

30. Investment In the Grid Augmentation

The cost of any augmentation required after the interconnection point in the system of the distribution licensee shall be borne by the concerned Distribution Licensee.

Provided that such investments as may be approved by the Commission, shall be a pass through in the Annual Revenue Requirement of such distribution licensee.

31. Procedures for Interconnectivity with the Grid

31.1 The Project developers desirous of setting up solar PV power projects shall apply to the distribution licensee for connectivity with the distribution network system in the format/(s) as may be specified by the Commission.

31.2 The timelines for grant of connectivity shall be as under:

- (a) Distribution Licensee shall within 30 days of receipt of application from the Project developer, intimate (to Project developer and the Commission) whether the project developer can be connected to the grid without further system strengthening and take steps to allow connectivity within 30 days of such intimation.
- (b) If system strengthening or grid augmentation is required, the Distribution Licensee shall intimate the same to the project developer and the Commission within 60 days of receipt of application of the

Project developer. In such a case, interconnection of the project developer to the grid shall be established within 4-6 months of such intimation.

- (c) The Distribution Licensee shall not be liable to pay any compensation to the project developer for deemed generation benefits in case the Distribution Licensee is unable to absorb the power due to the reasons which are beyond his control.

32. Communication Facilities

All grid connected solar PV power projects shall have meters with features to record energy for 45 days data storage for injection into the grid through solar meter as provided under Regulation 23. All projects with capacity 1 MWp and above shall have communication Port for exchanging real time information with the SLDC and Distribution Licensee.

33. Power Quality & Protection and Controls

Power Quality & Protection and Controls shall conform to the standards specified in the CEA (Technical Standards for connectivity to the grid) Regulations, 2010 applicable to the distribution system as amended from time to time.

34. Power to Remove Difficulties

34.1 In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by general or special order, issue appropriate directions to the Project Developers, Distribution Licensee(s) etc., to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

34.2 The Project Developer or/and the Distribution Licensees may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of these Regulations.

35. Power to Relax

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

36. Interpretation

If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

37. Power to Amend

The Commission may from time to time add, vary, alter, suspend, modify, amend or repeal any provisions of these Regulations.

**Mrs. Jayshree Raghuraman
Secretary**